भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 525

जिसका उत्तर 05 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष

525. श्री पी॰ वेलुसामीः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने 2010–11 में स्वच्छ ऊर्जा पहल और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक कायिक निधि अर्थात् राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष बनाने के लिए घरेलू और आयातित कोयले पर 50 रुपये प्रति टन का उपकर लगाया है;
(ख) यदि हां, तो अब तक जुटाई गई निधि की कुल राशि और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;
(ग) एनसीएएफ से धन प्राप्त करने वाले मंत्रालयों की संख्या क्या है और उनका क्या उपयोग हुआ है;
(घ) क्या बिना खर्च हुई राशि एनसीईएफ को वापस कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय को राशि जारी की है और यदि हां, तो कितनी राशि जारी की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): जी हां। केंद्र सरकार ने वर्ष 2010-11 में 50.00 रु. प्रति टन का एक उपकर लगाया था जिसे जुलाई 2014 में बढ़ाकर 100 रु. प्रति टन कर दिया गया था। वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में इस उपकर को और बढ़ाकर 200 रु. प्रति टन तथा 2016-17 के केंद्रीय बजट में 400रु. प्रति टन कर दिया गया था।

(ख), (ग) और (घ) : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शुरु करने पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर को दिनांक 01.07.2017 से समाप्त कर दिया गया है। स्वच्छ पर्यावरण उपकर (सीईसी) के अधीन, वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 (अप्रैल-जून) के दौरान, इसे समाप्त किए जाने तक कुल संग्रहित राशि क्रमशः 26117.25 करोड़ और 11463.43 करोड़ रु. थी।

मंत्रालय का नाम और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में जारी किया गया मंत्रालय-वार स्वच्छ ऊर्जा उपकर निम्नानुसार हैः-

(रु. करोड़ में)

मंत्रालय का नाम	वास्तविक (2016-17)	वास्तविक (2017-18)	2018-19*	2019-20 (आज की तारीख तक)*
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	3836.01	3687.84	0.00	0.00
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	955.74	1085.45	0.00	0.00
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	1675.00	700.00	0.00	0.00

*स्वच्छ ऊर्जा उपकर दिनांक 01.07.2017 से समाप्त कर दिया गया है।

(ड़): जैसा कि व्यय विभाग द्वारा सूचित किया है, पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय को कोई निधि जारी नहीं की गई है।

***